अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2022/381 श्री ... श्री ...	

जयंती राजावत बनाम राजस्थान सरकार (381 / 2022)

12.12.22 पत्रावली वास्ते सुनवाई स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौरान बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के द्वारा एक राजस्व वाद पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 4428, 1406, 1405 वाके ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद के बाबत् प्रस्तुमत कर निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर का पर्चा सेटलमेन्ट रिद्धनाथ उर्फ आससिद्धनाथ के नाम नामा आया था कि पुश्तैनी कब्जेकाश्त की आराजीयात है जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के नाम गलत रूप से आ गया। उपरोक्त अपीलांट की भूमि से लगती हुई आराजीयात है जिसका उपयोग उपभोग अपीलांट करती चली आ रही है। जिसकी उद्घोषणा खातेदारी हेतु वाद प्रस्तुत किया साथ ही एक प्रार्थना पत्र संख्या 14 / 2021 भी प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 03.03.2021 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई।उपरोक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के ऊपर प्रशासनिक तौर पर दबाव डाला जा रहा है जिसके चलते दिनांक 09.11.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पूर्व में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 03.03.2021 को निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 4428, 1406, 1405 अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात है। जिससे लगती हुई आराजीयात खसरा नम्बर 4428 जिसका साबिक खसरा नम्बर 3447 रकबा 00-06-02 था। जिसका पर्चा महकमा इंजीनरी मजकूर के नाम गलती से आ गया। जिसका लाभ उठाकर उपरोक्त खसरा नम्बर पर चालू मार्ग अतिक्रमण करने पर आमादा है और अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है।जिस बाबत् प्रस्तुत वाद पत्र सुनवाई करते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि आराजी खसरा नम्बर 4428 रकबा 1.54 है0 में से रकबा 0.65 है0की हद तक अपीलांट को बेदखल नहीं करे, अपीलांट के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें उपरोक्त स्थगन आदेश पश्चात पत्रावली नियमित रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तलबी विपचाराधीन रही परन्तु दिनांक 09.11.2022 को बिना किसी आधार के अपीलांट के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09. 11.2022 को स्थगित रखते हुए आराजी खसरा नम्बर 4428 के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखते हुए अपीलांट के कब्जे काश्त में दलखंदाजी करने एवं रास्ते की भूमि पर तारबंदी, कब्जा, बाड़ा बनाने से अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे अथवा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2022 को स्थगित रखते हुए आराजी खसरा नम्बर 4428 के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखते हुए अपीलांट के कब्जे काश्त में दलखंदाजी करने एवं रास्ते की भूमि पर तारबंदी, कब्जा, बाड़ा बनाने से अप्रार्थीगण को पाबंद करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3811/2022/...

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
	2022/381
पेशी	श्री ... श्री ...

राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि उक्त आराजीयात किं किस्म गैरमुमकिन नहर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो कि महकमा इन्जिनिरिंग (सिंचाई विभाग) के नाम दर्ज है, अपीलांट उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक व अधिकार नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जावें तथा अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा कीगई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू के आदेश दिनांक 09.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अंपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर